राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान जयपुर

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302001

फोन नं. 0141–2222422, ई–मेल आई.डी. addldirector.rch@gmail.com

Web Site- www.rajswasthya.gov.in

क्रमांकः सामान्य/रापक/विधि/2024/ 107 **दिनांकः** 14/5/24

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान।
समस्त अति0/उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प0क0) राजस्थान।
समस्त जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी
प्राचार्य, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, जयपुर/अजमेर
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला अस्पताल

विषयः– विभाग के विरूद दायर याचिका/डी बी अपील/अवमानना याचिका के नोटिस /याचिका की प्रति प्राप्त होने के पश्चात अग्रिम कार्यवाही के संबंध मे दिशा–निर्देश बाबत।

संदर्भः– मिशन निदेशक एंव विशिष्ट शासन सचिव,चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग के पत्र क्रमांक 162 दिनांक 02.05.2024 के क्रम मे।

उपरोक्त विषयान्तर्गत मिशन निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर द्वारा जारी संर्दभित पत्र में वर्णित निम्नानुसार दिशा निर्देशो की पालना की जानी सुनिश्चित करें।

1. विभाग के विरूद्ध दायर याचिका/डी.बी.अपील/अवमानना याचिका के नोटिस/याचिका की प्रति प्राप्त होते ही तत्काल विधि अनुभाग, निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।
2 याचिका/डी.बी. अपील/अवमानना याचिका में केस प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जाने के 03 दिवस के भीतर संबंधित अति. महाधिवक्ता/राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर वकालत नामा सहित याचिका/डी.बी.अपील/अवमानना की प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
3. उसके पश्चात् 7 दिवस के भीतर संबंधित कार्यालय/शाखा से व्यक्तिशः सम्पर्क कर प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त कर संबंधित अति. महाधिवक्ता/राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर प्रकरण का जवाब तैयार करवाकर माननीय न्यायालय में जवाब प्रस्तुत कर जवाब की प्रति विधि अनुभाग मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. उक्तानुसार कार्यवाही समय पर सम्पादित नहीं किये जाने पर संबंधित/केस प्रभारी अधिकारी के बिरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावे ।

(डॉ0 सुनीत सिंह राणावत)
निदेशक (प0क0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः सामान्य/रापक/विधि/ 2024/ 107 **दिनांकः** 14/5/24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रतिलिपि प्रभारी सर्वर रूम को वास्ते विभाग की साइट पर अपलोड करने एंव सम्बंधित अधिकारी को ईमेल करने बाबत ।

RajKaj Ref 7072837

Document certified by SUNEET SINGH RANAWAT <directorfw-rj@nic.in>.
Digitally Signed by Suneet Singh Ranawat
Designation :Director
Date :13-05-2024 04:27:43

(डॉ. के.पी.शर्मा)
अति0 निदेशक (प0क0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर